झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं० सं०– 3/स्था० डी०–01–109/2016 79(3) राँची/दिनांक– 16/1/17

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि विशेषज्ञ ग्रेड–II) के पद पर नियुक्ति हेतु, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2015 के आलोक में सफल एवं अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में अंकित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुसूची–53 फॉरम संख्या–202 (संलग्न) विहित प्रपत्र में पदभार ग्रहण की तिथि से पूर्ववृत्त, चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा पर्षद द्वारा योग्य पाए जाने की प्रत्याशा में वेतनमान PB-II रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 5400 (नियुक्ति के समय चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को तथा तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारकों को देय होगा) में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य देय भत्ता के साथ परीक्ष्यमान (Probation) एवं औपबंधिक रूप से गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि विशेषज्ञ ग्रेड–II) के पद पर निम्नांकित बंधेज/शर्त्तों के अधीन नियुक्त करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2 वित्त विभाग के संकल्प संख्या–518 दिनांक 09.12.2004 के अनुसार नियुक्त इन चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

3 यह नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या–296 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर की जा रही है, अतएव किसी जाँच के फलाफल से भविष्य में इस अनुशंसित सूची के परिमार्जित/संशोधित होने पर यह नियुक्ति तदनुसार स्वतः प्रभावित होगी।

4 यह नियुक्ति एवं सेवाएँ झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015, झारखण्ड सेवा संहिता, झारखण्ड वित्त नियमावली, असैनिक सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1983, स्वास्थ्य सेवाएँ हस्तक एवं राज्य सरकार के अन्य संगत नियमों तथा परिपत्रों आदि द्वारा नियंत्रित होगी।

5 सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियम के तहत देय होगा तथा परीक्ष्यमान अवधि के प्रथम वर्ष में अध्ययन चर्या भाग लेने हेतु अवकाश विचारणीय नहीं होगा।

6 प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक पिछले वित्तीय वर्ष की संपत्ति विवरणी/ब्योरा यथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

7 प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में वार्षिक चारित्रिक अभ्युक्ति (Annual Confidential Report) विहित प्रपत्र में अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे अभिलेखित कर उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

8 प्रभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि परीक्ष्यमान चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में रहेगी जिसे सरकार आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि में कार्य एवं आचरण ठीक नहीं रहने पर कारण–पृच्छा कर सेवा से हटाया जा सकता है। इस अवधि में सेवा संतोषजनक पाए जाने तथा अन्य विभागीय परीक्षा में उतीर्णता यथा– हिन्दी तथा जनजातीय भाषा परीक्षा, लेखा परीक्षा (पुस्तक रहित एवं पुस्तक सहित) एवं कोषागार प्रशिक्षण पूरा करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा संपुष्ट की जाएगी।

9 चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को Non-practicing allowance (गैर व्यावसायिक भत्ता) देय नहीं होगा। निजी प्रैक्टिस के संबंध में वे विभागीय परिपत्रों से शासित होंगे।

10 प्रभार ग्रहण करने के बाद विवाह संबंधी घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा कि आपकी/आपके एक से अधिक पत्नी/पति नहीं है। अविवाहित रहने पर दहेज नहीं लेने/देने का घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।

11 सेवानिवृत्ति की आयु वहीं होगी जो झारखण्ड सरकार समय–समय पर तय करेगी।

12 पदस्थापित स्थान पर पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। वेतनादि का भुगतान भी पदस्थापित स्थान पर विहित प्रपत्र 202 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

13 पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन के क्रम में किसी के विरूद्ध यदि प्रतिकूल अभ्युक्ति प्राप्त होगी तो यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जायगी। चिकित्सा पर्षद द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में भी नियुक्ति रदद् कर दी जाएगी।

14 गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अवासीय प्रमाण–पत्र सहित) आदि के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति की कोई वैधिक मान्यता नहीं होगी। ऐसी नियुक्ति किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगा। ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने हेतु पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कारवाई करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

79(3)
16/1/17

15 स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०– 7834 (2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार एतद् नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति की तिथि से दस वर्षो की सेवा पूरी होने अथवा 45 वर्षो की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण की अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

16 नव नियुक्त चिकित्सक अपने पदस्थापित स्थान पर पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 21 (एकीस) दिनों के अन्दर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश

विलोपित कर दिया जायेगा। किसी मामले विशेष में विभाग इस अवधि को विस्तारित कर सकती है।

17 उपर्युक्त शर्त्तें/बंधेज के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित उम्मीदवार को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि विशेषज्ञ ग्रेड–II) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ–12 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

Sl. No.	JPSC Sl. No.	Roll No	Name	Father's Name	Specialization	Degree / Diploma	DOB	Category	Selection Category	Address	Place of posting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	ENT002	ABHINAV PAUL MINJ	THOMAS JUSTIN MINJ	ENT	Degree	14/09/1984	ST	UNR	C/o Dr. Roseline Toppo Bethel, Vill-Jorar, Namkum, Ranchi-834010	Sadar Hospital, Chaibasa
2	8	PSYC015	VINOD KUMAR MAHATO	GIRIDHARI MAHTO	Psychiatrist	Diploma	11/12/1980	UNR	UNR	C/o Giridhari Mahto, Vill-Raghunathpur, PO+PS-Baliapur, Dhanbad-828201	Sadar Hospital, Dumka

18 यदि उपर्युक्त शर्त्तें/बंधेज स्वीकार हैं तो अविलंब लिखित रूप से स्वीकृति सिविल सर्जन के माध्यम से विभाग एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को देंगे एवं नये पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

प्रभार ग्रहण करते समय अपने स्थायी गृह तथा पत्राचार का पता, अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 सिविल सर्जन कार्यालय में अवश्य जमा कर देंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 16/1/2017

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 79 (3) दिनांकः– 16/1/17

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची /वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को उनके पत्रांक 296 दिनांक 28.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।
6. संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/संबंधित प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे :–

(1) नव नियुक्त गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक की चिकित्सकीय जाँच हेतु चिकित्सा पर्षद गठित करेंगे तथा अयोग्य पाए गए चिकित्सकों की समेकित सूची तथा चिकित्सा पर्षद का प्रमाण–पत्र विभाग को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(2) नव नियुक्त चिकित्सकों का गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के पद के विरूद्ध ही योगदान स्वीकृत किया जाय। यदि इस पद पर पूर्व से चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के चिकित्सक पदस्थापित है तो ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी का समायोजन रिक्त पद पर करते हुए विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। किन्तु यदि विशेषज्ञ चिकित्सक के पद सृजित नहीं हो तो उनका योगदान चिकित्सा पदाधिकारी पद पर स्वीकृत किया जाय तथा विभाग को सूचित किया जाय।

(3) प्रभार ग्रहण कराते समय संबंधित चिकित्सकों से स्थायी गृह तथा पत्राचार का पता, अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 प्राप्त कर कार्यालय में अवश्य संधारित करेंगे ताकि भविष्य में इनसे सर्म्पक करने में कोई कठिनाई न हो।

7. संबंधित नव नियुक्त गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/2017

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 79 (3) दिनांकः– 16/1/17
प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/2017

(अभिषेक श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव